



Office of the Accountant General (A&E),
Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad - 500 004

PM/VI/2013-14/OG-GO/

07.2015

To
The Director of Treasuries and Accounts
Andhra Pradesh
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad
Sir,

Sub:- Forwarding of grant of DR at 113% from 01.01.2015 to
Chattisgarh pensioners/Family Pensioners.

Ref:- 1. Govt. of Chattisgarh Finance Department No. 158/F-2013-04-
00416/Fin/Rule/IV dt. 26.05.2015
2. No PA/Genl/DR/273 dt 18.06.15 from the Accountant
General (A&E) Chattisgarh.

I am herewith enclosing copies of Chattisgarh Govt. orders received
under Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E),
Chattisgarh in the reference cited. The same is being placed in this office
official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the
District Treasury Officers to download the orders and take necessary action
at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,


Sr. Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
HQR Treasury
Tilak Road, Abids,
Hyderabad

for information and necessary action.


Sr. Accounts Officer

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत/विशेष मूदा प्राधिकार/

क्र: पैन्शन/राहत/
प्रति. 273

दिनांक: 18/6/15

01 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463

03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरुणाचल प्रदेश, इटा नगर-791111

04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029

05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001

06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आइट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047

08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003

09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एंजीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009

10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डॉरंडा, राँची-834002

11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329 / 5369 बैंगलोर-560001

12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039

13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 मध्य प्रदेश, लेखा भवन, जांसी रोड, ग्वालियर-474002

14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई

15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001

16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इस्फाल-795001

17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग-793001

18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐजवल-796001

19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001

20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उडीसा, भुवनेश्वर-751001

21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017

22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005

23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिविकम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक-737102

24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018

25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला-799006

26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑब्यरेय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, मनाली, देहरादून-248171

27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001

28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बैंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नर्मेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001

29 कन्ट्रोलर ॲफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ॲफ एक्स्टर्नल अफैस, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली

30 डाइरेक्टर ॲफ अकाउन्ट्स, पैशन अनुभाग, पानाजी, गोवा

31 डाइरेक्टर ॲफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी

32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद-500463

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पैशनरों को पैशन पर मंहगाई राहत स्थीकार करने संबंधी आदेश की प्रतियाँ के संबंध में।
संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग का निर्देश (17/2015) क्रमांक: 158/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार दिनांक: 26/05/2015।

संदर्भित निर्देशों, जो की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित निर्देशों की प्रतियाँ।

पृष्ठ: पैन्शन/राहत/

- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन-नया रायपुर को उनके संदर्भित निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की सूचना।
- संचालक, कोष, लेखा एवं पैशन रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया सुनिश्चित करें की सभी कोषालयों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पैशनरों को उपरोक्तानुसार भुगतान किया जा रहा है।



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक:

S.D.

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

वित्त निर्देश 17/2015

जिस लकड़ा कि उडाइ ड्राफ्ट पर मार्गे हुए हैं वहाँमें छपा रखा गया है। यहाँ
में ग्राम के लिए इसके लिए वित्तीसंगठन की गई है। यहाँ
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
कलह कि ग्रामीण जिली ग्राम। यहाँ
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर
क्रमांक 158/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नवा रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015
प्रति,

शासन के समस्त विभाग

(अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
पर्याप्त ग्राम) नियम लिए उडाइ ड्राफ्ट हुए हैं। यहाँ
समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के जिलों के अधिकारी नियम लिए हैं। यहाँ
विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के पेशनरों को पेशन पर मंहगाई राहत स्वीकार
करने के संबंध में।

विषय कि जाम लिए जिए जिसके लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 432/एफ-2013-04-00188/वित्त/नियम/चार,
दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 एवं परिपत्र क्रमांक 23/एफ 2013-04-00188/वि/नि/चार, दिनांक
6 फरवरी, 2015 द्वारा राज्य शासन के पेशनरों/परिवार पेशनरों को मूल पेशन/परिवार पेशन
पर दिनांक 01.07.2014 से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के
पेशनर/परिवार पेशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेशनरों
को देय अतिरिक्त पेशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-01-2015 से (माह जनवरी, 2015 की पेशन/परिवार पेशन जो माह फरवरी, 2015 में देय होगी)	पेशन/परिवार पेशन का 113 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेशन पर देय होगी।
सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेशन तथा असाधारण पेशन प्राप्त करने वाले पेशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के
अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहाँ पेशन/परिवार पेशन भोगी राज्य शासन या किसी

स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहाँ पेशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेशनर्स जिन्होंने अपनी पेशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलयन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये हैं ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णाकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पु.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

प्रियंका गोदानपानी (Priyanka Godanpani) लिखितात्मक रूपांतरण (Handwritten Transcription) की प्रतीकृति (Bill of Lading) का द्वारा दिया गया दस्तावेज़ (Document) का संयुक्त सचिव (एस.के. चक्रवर्ती) 26/07/2015
प्रियंका गोदानपानी (Priyanka Godanpani) का द्वारा दिया गया दस्तावेज़ (Document) का संयुक्त सचिव (एस.के. चक्रवर्ती) 26/07/2015
प्रियंका गोदानपानी (Priyanka Godanpani) का द्वारा दिया गया दस्तावेज़ (Document) का संयुक्त सचिव (एस.के. चक्रवर्ती) 26/07/2015
प्रियंका गोदानपानी (Priyanka Godanpani) का द्वारा दिया गया दस्तावेज़ (Document) का संयुक्त सचिव (एस.के. चक्रवर्ती) 26/07/2015
प्रियंका गोदानपानी (Priyanka Godanpani) का द्वारा दिया गया दस्तावेज़ (Document) का संयुक्त सचिव (एस.के. चक्रवर्ती) 26/07/2015

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE & PLANNING DEPARTMENT
MANTRALAYA,
MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No. 158/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, New Raipur, Dated 26 May, 2015

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Commissioners of Divisions
All Heads of Department
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh.

The State Government had sanctioned 107 % dearness relief w.e.f. 01-07-2014 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 423/F 2013-04-00188/Fin/Rule/IV, dated 31st October, 2014 and Memo No. 23/F 2013-04-00188/Fin/Rule/IV, dated 6 February, 2015. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-01-2015 (Pension/family pension for the month of January 2015 paid in February 2015)	113% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the

cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(S. K. Chakraborty)

Joint Secretary

Government of Chhattisgarh
Finance Department

पृ.क. 159/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निवाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर।
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अधिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर।
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छ.ग।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी/पेशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नर्मेंट एण्ड बैंक एकाउण्ट डिपाटमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर।
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद।

25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमிலनாடு शासन, मंत्रालय, चென்னை 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैगलतोर 560001.
32. वित्त सचिव, उडीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इमफाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वी मंजिल सी-ब्लाक,लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंधालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इमफाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1(लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो, रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607,तिरुवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनாடு, चென்னை 600018.
56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनாடு, चென்னை 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.

58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047.
63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
65. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
66. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
67. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विलिंग कोलकाता 700001.
68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.
69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001.
71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक
72. संचालक, लेखा (पेशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
73. महालेखागार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली
75. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली।
76. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली।
77. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की
वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग



राष्ट्रीय नियंत्रक विभाग